

30.9.19

पत्रावली भाजप पैरा। वकील पक्षकार एवं
वादी उपस्थित हैं। वादी द्वारा एक डाक
वाद का भाग नहीं चढ़ाना चाहने के कारण
रखाएज करने हेतु प्रस्तुत किया गया
उभय पक्ष को लुना गया प्रकरण में
कोई काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया
जाने से वकील जिला को आपत्ति नहीं
है।

चूंकि वादी वाद का स्वामी होता है
वो अब चाहे वाद वापस ले सकता है
अतः वाद वापस लेने की स्वीकृति दी
जाती है।

प्रकरण में एक डाक 0.1.2.17

filed
Jharkhand
Court
30/9/19

(S) Chhary

30/9/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> C.P.C. पेस हुका। आ.का.ली बल विडान अधिवक्ता जमी हुकी गरी हुंकि इतवाड ही वापस लिया जा उका ह, ऐसी हल में जार्ना फ वावल बनाये जाये पसकार क का कोई विशेष अधिवक्ता नहीं रह जाता है। अला. हाउ फ order. 1. Rule. 10 C.P.C. पोषणीय नहीं होने क खारिज किया जाता है। वाड वारी वापस जेन की अनुसा ललित खारिज किया जाता है फावनी कसुम सुमार की आका जविल लेख भण्डार ही नियम आन दि 30.9.2019 का लई इतवास हुगाया। 30/9/19 (चिमवदाग सीमा) R.A.S. </p>	